# राज़कीय बहुतनीकी संस्थान कांगड़ा, तहसील व ज़िला कांगड़ा (हि0प्र0) के छात्र कल्याण निधियों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 4/12 से 3/13

## भाग–एक

**1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई का सत्यापन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से वर्णित है। अतः अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई अम्ल में लाई जाये।

**(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005**

| क0सं0 | पैरा सं0 | पैरे की स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा – 4 | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा – 11 (क) | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा – 11 (ख) | अनिर्णीत | |

**(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/09**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा – 5 (घ) | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा – 6 | अनिर्णीत | |

**(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/09 से 3/11**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा – 4 | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा – 9 | अनिर्णीत | |

**(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/12**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा – 4 (घ) | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा – 5 | निर्णीत | (वांछित अभिलेख देख लिये गए) |
| 3 | पैरा – 6 | निर्णीत | (वांछित अभिलेख के अवलोकन के उपरान्त) |
| 4 | पैरा – 7 (क) | अनिर्णीत | |
| | पैरा – 7 (ख) | निर्णीत | (₹16148/– रसीद सं0 17892 दिनाँक 3.12.11 द्वारा जमा की गई) |
| 5 | पैरा – 8 | निर्णीत | (वांछित अभिलेख देख लिये गए व ₹25291 रसीद सं0 20105 दिनाँक 10.9.12 द्वारा जमा की गई) |
| 6 | पैरा – 9 | निर्णीत | (वांछित अभिलेख के अवलोकन के उपरान्त) |

## भाग–दो

**2 वर्तमान अंकेक्षणः–**

संस्थान के छात्र कल्याण निधि लेखों (अवधि 4/12 से 3/13) का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये है, श्री राजवीर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 27.3.14 व 28.3.14 को किया गया। माह 7/2012 का चयन आय की विस्तृत जाँच हेतु तथा माह 8/2012 का चयन व्यय की विस्तृत जाँच हेतु किया गया।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार कि गलत सूचना या सूचना जो उपलब्ध नही करवाई गई, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान संस्थान में श्री ई0आर0के शर्मा, प्रधानाचार्य/आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे।

**3 अंकेक्षण शुल्कः–**

संस्थान के अवधि 4/11 से 3/12 के छात्र कल्याण निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹1200/– आंका गया। प्रधानाचार्य द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट सं0 1301 (SBP-कांगड़ा) दिनाँक 31/3/2014 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, (हि0प्र0) शिमला–9 को भेज दी गई।

**4 वित्तीय स्थितिः–**

(क) राजकीय वहुतकनीकी संस्थान कांगड़ा द्वारा प्रस्तुत संस्थान के वर्ष 2012–13 के छात्र कल्याण निधि के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – "क"** पर भी दिया गया है।

**वर्ष 2012–13**

| | |
|---|---|
| आरम्भिक शेष | 3,86,02,521 |
| आय | 1,14,81,689 |
| कुल योग | 5,00,84,210 |
| व्यय :– (–) | 74,86,824 |
| अन्त शेष | 4,25,97,386 |

**(ख) राकेड वही के अनुसार उक्त अन्तिम शेष की राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | हस्तगत राशि | 16,879 |
| 2 | बैंक में जमा राशि | 35,31,751 |
| 3 | सावधि निवेश | 3,90,48,756 |
| | **कुल योग** | **4,25,97,386** |

(ग) उपरोक्त (ख) मे वर्णित रोकड़ वही के अनुसार वर्णित अन्तशेष ₹35,31751 के स्थान पर दिनाँक 31.3.13 को स्टेट बैंक पटियाला कांगड़ा के खाता सं0 65075086313 में ₹35,76,751.50 जमा थी तथा रोकड़ वही के अन्तशेष तथा बैंक पास बुक के अन्त शेष में निम्न अन्तर परिलक्षित हुआ :–

| | |
|---|---|
| बैंक पास बुक का अन्त शेष | 35,76,751–50 |
| रोकड़ वही के बैंक अन्त शेष | 35,31,751–00 |
| **अन्तर** | **₹45,000,50** |

उपरोक्त ₹45000–50 के अन्तर का मिलान संस्था द्वारा नही किया गया जिसका मिलान अविलम्ब किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**5 निवेशः–**

(क) संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अनसार संस्थान द्वारा दिनाँक 31.3.13 तक कुल ₹3,90,48,756 सावधि योजना में निवेशित थी, जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन **परिशिष्ट– "ख"** पर दिया गया है।

(ख) निवेश से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में यह पाया गया कि कुछ एक प्रकरणों में बैंक द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर कम ब्याज क्रैडिट दिया गया था जिसका विवरण निम्न हैः–

| **दिनाँक** | **राशि** | **एफ0डी0आर0 न0 व बैंक** | **अवधि** | **दर** | **अपेक्षित ब्याज** | **बैंक द्वारा क्रैडिट ब्याज** | **अन्तर** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4.09 | 20,00,000 | 1233031002878 o.Be.kgr | 24 M. | 9% | 3,89,662 | 3,54,830 | 34832 |
| 28.4.11 | 23,54,830 | 1233031002878 o.Be.kgr | 12 M. | 9% | 2,19,195 | 2,03,611 | 15,584 |
| | **कुल योग** | | | | | | **₹50,416** |

अतः कम क्रैडिट किए गए ब्याज का मामला सम्बन्धित बैंक से उठाया जाये तथा देय तिथि से चक्रवृद्धि ब्याज की प्राप्ति की जानी सुनिश्चित की जाये ।

**6 रोकड़ वही के रख–रखाव वारेः–**

जाँच में यह पाया गया कि, छात्र कल्याण निधियों एवं अन्य स्त्रोतो से प्राप्त आय, (जैसे कि कैन्टीन का किराया, तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा संचालन हेतु संस्थान को प्रदान की गई राशि इत्यादि) के लिए संकलित रूप में एक ही रोकड़ वही का प्रयोग किया था। रोकड़ वही के अवलोकल पर यह स्पष्ट नहीं होता कि छात्र कल्याण निधियों की आय कितनी है व

व्यय कितना किया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि छात्र कल्याण निधियों के लिए अलग से रोकड़ वही लगाई जाए और अन्य स्त्रोतों के प्राप्त आय के लिए अलग से रोकड़ वही लगााई जाए तथा इनके लिए अलग–अलग बैंक खातों का प्रयोग किया जाये ताकि छात्र कल्याण निधि की सही वित्तीय स्थिति स्पष्ट हो सके।

**7 संस्थान द्वारा प्राप्तियों में से विलों/अग्रिमों का नकदी कु रूप में भुगतान करनाः–**

रोकड़ वही के अवलोकन पर यह पाया गया कि संस्थान द्वारा नकदी के रूप में प्राप्त समस्त राशि उसी दिन या अगले दिन बैंक में जमा न करवा कर, प्राप्त की गई राशि में से बिलों एवं अग्रिमों इत्यादि का भुगतान करके शेष बची राशि को बैंक में जमा करवाया जा रहा था जो कि नियमों के विपरीत है। अतः उक्त अनियमितता स्थिति बारे स्पष्ट की जाये व भविष्य के लिए परामर्श दिया जाता है कि समस्त प्राप्त नकदी को बैंक में उसी दिन या अगले दिन जमा करवाया जाये व समस्त भुगतान भी बैंक के माध्यम से ही किये जायें ताकि किसी भी तरह की अनियमितता की पुनरावृति न हो।

**8 रसीद बुकों के रख–रखाव के बारेः मेंः–**

जाँच में यह पाया गया कि संस्थान द्वारा रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर में रसीदों की क्रम संख्या नहीं दर्शाई गई तथा थी। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा जो रसीदें छात्र कल्याण निधियों की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाई गई थी वह भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं की गई थी। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक, रजिस्टर में क्रम संख्या नहीं दर्शाना व रसीद बुकों का सत्यापित किये विना ही प्रयोग करना स्वतः ही अनियमित है, जिस वारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाई करके अनुपालना में अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**9 पुराने समाचार पत्रों एवं प्रत्रिकाओं की रददी की बिक्री न करने बारेः–**

अभिलेख की जाँच में यह पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान संस्थान द्वारा पुस्तकालय प्रयोग हेतु छात्र कल्याण निधि से पांच प्रकार के दैनिक समाचार पत्रों एवं लगभग 16 प्रकार की सप्ताहिक/मासिक पत्रिकाओं का क्रय किया जा रहा है, जिनकी रददी की विक्री से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नही किये गये। अतः संस्थान स्तर पर आन्तरिक जाँच करके इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाये।

**10 टयूसन फीस व एडमीशन फीस को वापिस लौटाने बारेः–**

वाऊचर सं0 517 व 518 दिनाँक 27.8.12 द्वारा क्रमशः ₹1750/– व ₹1750/– गौरव वालिया व रजत शर्मा नामक छात्रों को इस आशय के साथ वापिस लौटाई (Refund) की गई

कि उक्त दोनों छात्रों ने राजकीय वहुतकनीकी संस्थान चम्बा से राजकीय वहुतकनीकी संस्थान कांगड़ा में अपना स्थानान्तरण (Migration) करवाया था तथा कांगड़ा के संस्थान में भी क्रमशः रसीद सं0 19567 दिनाँक 18.7.12 व रसीद संव 19597 दिनाँक 24.7.12 द्वारा टयुशन फीस व एडमीशन फीस जमा करवा दी थी परन्तु चम्बा के संस्थान द्वारा जारी की गई रसीदें जिनके आधार पर उक्त राशि छात्रों को लौटाई (Refund) की गई सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी, जिसके अभाव में रिफण्ड की गई ₹3500/– की पुष्टि नही की जा सकी। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाये ताकि भुगतान/रिफण्ड की गई राशि की पुष्टि की जा सके।

**11 ₹1500/– के अधिक भुगतान वारेः–**

अध्यक्ष एडर्माशन कमेटी, सुन्दरनगर द्वारा राजकीय वहुतकनीकी संस्थान की 1st semester की छात्रा आशा देवी का Refund प्रपत्र ₹3000/– हेतु स्वीकृत किया था परन्तु उक्त राशि के भुगतान से सम्बन्धित वाऊचर संख्या 487 दिनाँक 8.8.12 की जाँच में यह पाया गया कि उक्त छात्रा को ₹4500/– का भुगतान किया गया था तथा रोकड़ वही में भी ₹4500/– का भुगतान बुक किया गया। अतः (₹4500–₹3000=₹1500) का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली चुककर्ताओं/उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

**12 स्थल मूल्याकंन हेतु किए गए भुगतान के बारे मेंः–**

सचिव, हि0प्र. तकनीकि शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थल मूल्याकंन के कार्य के लिये बैंक ड्राफ्ट सं0 490950 दिनाँक 9.7.12 द्वारा ₹15551/– प्रधानाचार्य, राजकीय वहुतकनीकी संस्थान कांगड़ा को भेजी गई परन्तु उक्त भेजी गई राशि में से भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित वाऊचर सं0 511 दिनाँक 18.8.12 की जाँच में यह पाया गया कि स्थल मूल्याकंन के कार्य के लिए विभिन्न प्रधानाचार्य को कुल ₹15601/– का भुगतान किया गया अर्थात संस्थान (₹15601–₹15551=₹50) का भुगतान छात्र कल्याण निधि में से किया गया जो कि उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः ₹50/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा किये जाने सुनिश्चित किये जाये।

**13 श्री विवके डोगरा, छात्र को लौटाई गई ₹4500/– के वारे में :–**

वाऊचर सं0 503 दिनाँक 13.8.12 द्वारा ₹4500/– श्री विवेक डोगरा, छात्र को इस सन्दर्भ में वापिस लौटाई गई कि उक्त छात्र द्वारा गलती से दो बार क्रमशः नकदी के रूप में ₹4450/– व बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ₹4500/– फीस के रूप में कॉलेज में जमा करवा दी थी। उक्त छात्र द्वारा नकदी के रूप में ₹4450 रसीद सं0 19975 दिनाँक 3/8/12 के अन्तर्गत

जमा की गई थी जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण द्वारा कर ली गई थी परन्तु ड्राफ्ट के रूप में जमा की गई ₹4500/– की प्रविष्टि रोकड़ वही/दैनिक प्राप्ति रजिस्टर में नही पाई गई, जिसके अभाव में वापिस लौटाई गई राशि की पुष्टि नही की जा सकी। अतः संस्था पर आन्तरिक जाँच करके इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा ₹4500/– की वसूली चूककर्ता/उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

**14 विना कोटेशन के सामाग्री की खरीद करनाः–**

(क) हि0प्र0 वित नियमावली 2009 के नियम 97 के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में ₹3000/– तक के मूल्य के सामान की खरीद विना कोटेशन के की जा सकती है वशर्ते कि पूरे वित्तीय वर्ष में बिना कोटेशन की कुल खरीद ₹50,000/– से अधिक न हो, जिस हेतु निम्न प्रमाण पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी को देना होगाः– "I am personally satisfied that the goods purchased are of the requisite quality and specification and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable prize." टैस्ट चैक के दौरान जाँच में यह पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्न प्रकरणों में सामाग्री की खरीद हेतु सम्बन्धित फर्मो को भुगतान किया गया परन्तु नियमानुसार न तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया तथा न ही कोई ऐसा अभिलेख तैयार किया गया जिससे इस तथ्य का पता चल सके कि अमुक वित्तीय वर्ष में विना कोटेशन के कुल कितने मूल्य के सामान की खरीद की गई है। अतः नियमों की अवहेलना करने तथा आवश्यक अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

| वा0स0/दिनाँक | राशि | फर्म का नाम | विल0न0 | सामाग्री |
|---|---|---|---|---|
| 521/27.8.12 | 24601 | मै0 चचंल इलैक्ट्रोनिक्ल कांगड़ा | 5092/ 23.5.12 | बिजली का सामान |
| 532/29.8.12 | 2000 | मै0 रोक्सी प्रिटिग प्रैस कांगड़ा | 331/ 13.8.12 | छात्र हाजिरी रजिस्टर |

(ख) इसके अतिरिक्त टैस्ट चैंक के दौरान जाँच में यह पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में नियमों की अनुपालना न करके ₹3000/– में अधिक सामग्री की खरीद भी बिना कोटेशन आमन्त्रित किए की गई थीः–

| क0 स0 | फर्म का नाम | सामाग्री | बिल न0 दिनाँक | वाउचर स0/दिनाँक | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मै0 शक्ति इण्डस्ट्रीज अकोला (महाराष्ट्र) | 987 न0 पहचान पत्र | 6069/12.7.12 | 508/18.8.12 | 9870 |
| 2 | मै0 अनुज प्रिर्टज़ कांगड़ा (हि0प0) | 2500 न0 उत्तर पुस्तिकाएं | 173/22.5.12 | 520/27.8.12 | 7875 |

अतः नियमों की अनुपालना न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की भी संस्था स्तर पर जाँच करके तदानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

**15 स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–**

अभिलेख की जाँच में यह पाया गया कि संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्टॉक में पडें सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना नही की गई थी, जबकि हि0प्र0 वितनियनावली के नियम 15.17 के अनुसार स्टॉक में पडें सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष में किया जाना अपेक्षित था। अतः नियमों की अनुपालना न करने के कारण स्पष्ट किए जाये तथा अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापना करके, भविष्य में वार्षिक सत्यापना सुनिश्चित करते हुये की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**16. लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से ज़ारी नहीं की गई है।

**17 निष्कर्षः–** लेखाओं के रखरखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(xi)(ii)254/75 दिनांक, 10.07.2014 शिमला–09.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

**पंजीकृत**

1 प्रधानाचार्य, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2 निदेशक तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर ज़िला मण्डी हि0प्र0
3 अवर सचिव (तकनीकी शिक्षा) हि0प्र0 सरकार, शिमला–2
4 श्री राजवीर सिंह अनुभाग अधिकारी, द्वारा.....

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.